[2021] 3 एस. सी. आर. 1015

एएमटीईके ऑटो लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति

निगम बैंक के माध्यम से

वी.

दिनकर टी वेंकटसुब्रमणियन और ओआरएस।

2020 का I.A.No.58156

के साथ

2020 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 524

(2019 की सिविल अपील संख्या 6707)

23 फरवरी, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 7 , 12 (3) और 31-न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 - s. 2 (b)-24.09.2019 पर,

उच्चतम न्यायालय ने समाधान पेशेवर (आर. पी.) को समाधान योजनाओं के लिए नए प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्देश दिया-नए समाधान योजनाओं को आमंत्रित किया गया

तीसरा प्रतिवादी-डी. वी. आई. ने वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया

04.11.2019 और उच्चतम समाधान आवेदक घोषित किया गया-17.01.2020 पर, DVI ने अपनी समाधान योजना को एक साथ प्रस्तुत किया

आई. एन. आर. 150 करोड़ डी. वी. आई. की प्रदर्शन बैंक गारंटी दायर की गई

कोविड-19 की शुरुआत के प्रभाव की जांच करने और समझने और समाधान योजना का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अदालत के समक्ष दो महीने की अवधि के अनुदान की मांग करने वाला आवेदन-18.06.2020 पर, आवेदन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया-RP ने DVI से 150 करोड़ रुपये की प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने का आह्वान किया-30.06.2020 पर, DVI ने अदालत के समक्ष सुधार आवेदन दायर किया। उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर कि (i) आदेश को वापस लेने के लिए डी. वी. आई. द्वारा कभी कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था; (ii) डी. वी. आई. ने समय बढ़ाने के लिए कभी भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया-दूसरी ओर, एन. सी. एल.

टी. ने डी. वी. आई.-डी. वी. आई. की समाधान योजना को मंजूरी दी और इसके समक्ष अपील दायर की।

एन. सी. एल. ए. टी.-डी. वी. आई. ने समाधान योजना के खंड 8.7 (फोर्स मैजेयर की घटना) को समाप्त करने की मांग करने के लिए एक ई-मेल को संबोधित किया-सी. ओ. सी. ने अवमानना याचिका दायर की-सुधार आवेदन और अवमानना याचिका दोनों सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हैं-आयोजितः सुधार आवेदन में, रिकॉर्ड के रूप में यह कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि डी. वी. आई. अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महामारी के प्रभाव की जांच करने और समाधान योजना की शर्तों पर फिर से बातचीत करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि डी. वी. आई. दायित्व की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था-जहां तक समय के विस्तार का संबंध है, जैसा कि डी. वी. आई. को उच्चतम मूल्यांकन समाधान आवेदक पाया गया था-विस्तार की मांग की गई थी और उसे मंजूरी भी दी गई थी-जिसने दायित्व की शर्तों को पूरा करने की मांग की थी।

समय का विस्तार महत्वपूर्ण नहीं है और सहायक महत्व का है। औपचारिक रूप से, यह सच हो सकता है कि विस्तार सी. ओ. सी. द्वारा लागू किए गए थे, हालांकि, डी. वी. आई. विस्तार का लाभार्थी था जो थे

न्यायालय द्वारा दी गई, क्योंकि विस्तार की मांग करने की प्रक्रिया के कारण इसकी समाधान योजना को मंजूरी मिली-तदनुसार, सुधार

अवमानना अधिकारिता का प्रयोग करना उचित है। सुधार आवेदन और अवमानना याचिका दोनों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: सुधार के लिए आवेदन

1. 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश को डी. वी. आई. द्वारा दायर आई. ए. के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। जब तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 18 जून 2020 के अपने आदेश में कहा कि "प्रस्ताव को वापस लेने के लिए आवेदक द्वारा किया गया आवेदन इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है" तो इसे डी. वी. आई. द्वारा स्थापित याचिका के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इस तथ्य को गलत नहीं माना जा सकता है कि डी. वी. आई., एक प्रस्तुत करने के बावजूद

समाधान योजना जिस पर चर्चा और संशोधन किया गया था

11 फरवरी 2020 की सी. ओ. सी. की बैठक में अनुमोदित होने से पहले सी. ओ. सी. के समक्ष, समाधान योजना को पूरा करने के लिए अपने आवेदनों को रद्द करने की मांग कर रहा था। महामारी के प्रभाव की फिर से जांच करने और समाधान योजना की शर्तों पर फिर से बातचीत करने की अनुमति देने की याचिका से यह स्पष्ट होता है कि डी. वी. आई. उन दायित्वों की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था जिन पर वह सहमत था। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि हालांकि डी. वी. आई. अपनी प्रदर्शन बैंक गारंटी की दूसरी किश्त प्रस्तुत करने के लिए बाध्य था

150 करोड़ रुपये, यह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। इसके विपरीत, 150 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की पहली किश्त के आह्वान के खतरे को देखते हुए, डी. वी. आई. ने एएमटेक ऑटो लिमिटेड के विशेष इक्विटी सी. ओ. सी. से अनुरोध किया।

निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर वेंकटसुब्रमणियन

और दो महीने में फिर से बातचीत की प्रक्रिया पूरी होने तक बैंक गारंटी को जीवित रखने की अनुमति देने के लिए एक निर्देश की मांग की। यह फिर से परिणाम पर काबू पाने के लिए था

डी. वी. आई. के चूक से उत्पन्न होने वाली बैंक गारंटी का आह्वान। डी. वी. आई. को बैंक गारंटी का विस्तार करने की अनुमति देने के लिए एक निर्देश की मांग करने वाली प्रार्थना को चतुराई से कहा गया था क्योंकि इसका प्रभाव बैंक गारंटी के आह्वान को रोकना होगा। वर्तमान आवेदन, यह

फैसला रिकॉर्ड पर आधारित है, जो इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि डी. वी. आई. अपने फैसले को रद्द करने की कोशिश कर रहा था।

उनके कहने पर इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया। डी. वी. आई. प्रस्तुत करता है कि इस न्यायालय के आदेश उसके कहने पर पारित नहीं किए गए थे क्योंकि समय बढ़ाने के लिए आवेदन पहले अनुरोध पर दिए गए थे। सीओसी द्वारा। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय का विस्तार समाधान आवेदकों के प्रस्तावों पर उचित विचार करने में सक्षम बनाने के लिए था।

डी. वी. आई. निस्संदेह एक आवेदक था। [पैरा 27] [1036-डी-एच; 1037-ए ई]

2. 10 फरवरी 2020 को, सी. ओ. सी. ने सदस्यों द्वारा मतदान किए जाने वाले समाधान योजना के लिए एक सप्ताह के विस्तार की मांग की।

सीओसी। 11 फरवरी 2020 को, डी. वी. आई. की समाधान योजना को मंजूरी दी गई और आर. पी. द्वारा 19 फरवरी 2020 को इस अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें सी. ओ. सी. द्वारा डी. वी. आई. की समाधान योजना की मंजूरी की सूचना दी गई। उचित दिशा-निर्देश मांगे गए। घटनाओं का यह क्रम इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि जो विस्तार दिए गए थे, वे शुरू में प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए थे।

समाधान आवेदकों को अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करने और बाद में प्रस्तुत की गई योजनाओं के मूल्यांकन के लिए आमंत्रित करना। डी. वी. आई. को उच्चतम मूल्यांकन समाधान आवेदक पाए जाने के बाद, सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को अंतिम रूप देने और उस पर मतदान करने के लिए विस्तार की मांग की गई और मंजूरी दी गई। जिसने समय बढ़ाने की मांग की, वह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है और सहायक महत्व का है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

औपचारिक रूप से यह सच हो सकता है कि सी. ओ. सी. द्वारा विस्तार के लिए आवेदन किया गया था, आर. पी. ने इस अदालत को डी. वी. आई. की समाधान योजना को दी गई मंजूरी से भी अवगत कराया था। हालाँकि, डी. वी. आई. उन विस्तारों का लाभार्थी था जो इस न्यायालय द्वारा दिए गए थे। समय-समय पर दिए गए विस्तार ने डी. वी. आई. द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर विचार करने में सुविधा प्रदान की। डी. वी. आई. को यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि 8 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश में मांग करने की प्रक्रिया में त्रुटि है। इस न्यायालय के समक्ष विस्तार अंततः इसकी समाधान योजना के अनुमोदन तक ले गया। सुधार के लिए डी. वी. आई. का आवेदन, दूसरे शब्दों में, समाधान योजना से पीछे हटने का एक प्रयास है जिसे उसने प्रस्तुत किया था और अपने दायित्वों से पीछे हटने का प्रयास है। यह एक कुटिल प्रयास है जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तदनुसार सुधार आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए। [पैरा 29] [1038-सी-एच]

अवमानना याचिका

डी. वी. आई. एक समाधान आवेदक के रूप में जिसके प्रस्ताव पर न्यायालय के निर्देशों के तत्वावधान में विचार किया गया था। डी. वी. आई. ने अपने दायित्वों से पीछे हटने का प्रयास किया और अपने आवेदन को पढ़ने से इस तथ्य पर कोई संदेह नहीं होगा कि डी. वी. आई. न केवल समय बढ़ाने की मांग कर रहा था, बल्कि सी. ओ. सी. द्वारा अपनी मंजूरी के बाद अपनी समाधान योजना पर फिर से बातचीत कर रहा था। फिर से, डी. वी. आई. के प्रयास को अस्वीकार करने वाले 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश के बावजूद, यह एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही के भीतर और बाहर एक ही याचिकाओं को उठाना जारी रखा। डी. वी. आई. के आचरण में ईमानदारी की कमी है। हालाँकि मुद्दा यह है कि क्या असमर्थनीय याचिका को उठाने और समाधान योजना के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहने के इस आचरण को 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जा सकता है। डी. वी. आई. निस्संदेह था आदेश की सूचना पर रखा गया है कि यदि यह ऐसी शर्तों में आगे बढ़ता है, तो यह अवमानना क्षेत्राधिकार के आह्वान को आमंत्रित करेगा। होने के नाते

उन्होंने कहा कि, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय का 18 जून का सी. ओ. सी. ऑफ एमटेक ऑटो लिमिटेड का आदेश।

निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर वेंकटसुब्रमणियन

2020 डी. वी. आई. द्वारा प्रस्तुत आई. ए. को अस्वीकार कर दिया और एक आवश्यक प्रस्ताव के रूप में

परिणामस्वरूप, जिस आधार पर आई. ए. में राहत मांगी गई थी। इसलिए सही ढंग से, अब डी. वी. आई. की ओर से यह कहा गया है कि वह 18 जून 2020 को अपने आई. ए. की बर्खास्तगी को देखते हुए बल प्रयोग की याचिका दायर नहीं करेगा। लेकिन ईमानदारी की कमी

डी. वी. आई. का आचरण था, हमें अवमानना क्षेत्राधिकार को लागू करने के बारे में चौकस रहना चाहिए क्योंकि एक असमर्थनीय याचिका स्थापित नहीं करनी चाहिए

अपने आप में और अवमानना क्षेत्राधिकार के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले दंडात्मक परिणामों को आमंत्रित करते हैं। इसी तरह, समाधान योजना की शर्तों को पूरा करने में डी. वी. आई. की चूक कानून में परिकल्पित परिणामों को आमंत्रित कर सकती है। शेष पर, यह न्यायालय है

इस सुविचारित दृष्टिकोण से कि अवमानना अधिकारिता का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। [पैरा 38] [1042-बी-एच]

सिविल अपील/अंतर्निहित न्यायनिर्णयः आई. ए. नहीं।

58156 2019 की सिविल अपील संख्या 6707 में।

2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 219 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 16.08.2019 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 6707 में 2020 की अवमानना याचिका सिविल संख्या 524

रावत, सिद्धांत कांत, सागर धवन, सुश्री चारू बंसल, सुश्री प्रभ सिमरान कौर, एस. एस. श्रॉफ, डी. पी. सिंह, कौशिक मोइत्रा, सुश्री इशिता जैन, अनुराग टंडन, सुश्री संजुक्ता रॉय, सुश्री सोनम गुप्ता, ज्ञानेंद्र कुमार, सुश्री शिखा टंडन, सुमित अत्री, सुश्री आकांक्षा शर्मा, रॉबिन ग्रोवर, मैसर्स। सिरिल अमरचंद मंगलदास आशीष प्रसाद, महफूज अहसान नाजकी, दिनेश पेडनेकर, चाणक्य केसवानी, अर्पन बहल, सुमंत बत्रा, संजय भट्ट, सुश्री निहारिका शर्मा, सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, रबीन मजूमदार, अरविंद कुमार गुप्ता, रवींद्र दयानंद चिंगले, पी. एस. सुधीर, विकास कुमार, मनीष पालीवाल, मेसर्स कॉरपोरेट लीगल पार्टनर्स मयंक पांडे, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. यह निर्णय दो कार्यवाहियों को नियंत्रित करेगा:

(i) डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स एल. पी. ("डी. वी. आई".) के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ ए. एम. टी. ई. के. ऑटो लिमिटेड ("कॉर्पोरेट देनदार") के लेनदारों की समिति द्वारा स्थापित अवमानना याचिका, तीसरी

पारित आदेश के उल्लंघन के लिए सिविल अपील 2 में प्रतिवादी

18 जून 2020 को इस न्यायालय द्वारा 3.

((ii) इस न्यायालय के दिनांकित आदेश में सुधार के लिए एक आवेदन।

18 डी. वी. आई. द्वारा स्थापित जून 2020।

दोनों कार्यवाहियाँ परस्पर संबंधित हैं। दोनों को सुना गया है।

एक साथ।

कंपनी विधि न्यायाधिकरण ("एन. सी. एल. टी".)। श्री दिनकर टी वेंकटसुब्रमण्यन को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ("आरपी") के रूप में पुष्टि की गई। 3. 31 अगस्त 2017 को, आर. पी. ने संभावित समाधान आवेदकों से समाधान योजनाओं को आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया। समाधान योजनाएं

लिबर्टी हाउस ग्रुप और डी. वी. आई. द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

4. 6 मार्च 2018 को, लिबर्टी हाउस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत एक संशोधित योजना उच्चतम मूल्यांकन योजना के रूप में उभरी, जबकि डी. वी. आई. ने अपनी योजना को वापस ले लिया।

योजना बनाएँ।

5. ऋणदाताओं की समिति ("सी. ओ. सी".) ने 1 प्रतिशत के बहुमत से 2 पर लिबर्टी हाउस समूह की अंतिम संशोधित योजना को मंजूरी दी।

अप्रैल 2018। 25 जुलाई 2018 को, एन. सी. एल. टी. ने लिबर्टी हाउस समूह की समाधान योजना को मंजूरी दी।

6. 4 दिसंबर 2018 को, सी. ओ. सी. ने एक आवेदन दायर किया जिसमें एक

घोषणा कि लिबर्टी हाउस ग्रुप ने एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया था और आर. पी. के लिए प्रयास करने के लिए

2020 की अवमानना याचिका (सी) No.542

2 2019 की सिविल अपील No.6707 3 आदेश दिनांक 18 जून 2020 को 2020 की आई. ए. No.54321 में 2019 की सिविल अपील संख्या 6707 में पारित किया गया।

41.ए. ए. एम. टी. ई. के 2020 सी. ओ. सी. ऑटो लिमिटेड का <आई. डी. 1. निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर वेंकटसुब्रमणियन [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

समाधान की एक नई प्रक्रिया। एन. सी. एल. टी. ने 13 फरवरी 2019 के एक आदेश में कहा कि लिबर्टी हाउस समूह अनुमोदित समाधान योजना के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है और डी. वी. आई. द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर विचार करने के लिए सी. ओ. सी. के पुनर्गठन का निर्देश दिया। एनसीएलटी योजनाओं को फिर से आमंत्रित करके एक नई प्रक्रिया को पूरा करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

7. परिणामस्वरूप सी. ओ. सी. ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ("एन. सी. एल. ए. टी".) के समक्ष 3 अपील दायर की। अपील समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए संभावित आवेदकों से नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना की अस्वीकृति को चुनौती देने की सीमा तक सीमित थी। 15 अप्रैल 2019 को, डी. वी. आई. ने एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया जिसमें अनुरोध किया गया था एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अभियोग, जिसे 22 अप्रैल 2019 के एक आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही के दौरान डी. वी. आई. ने समाधान योजनाओं के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए सी. ओ. सी. की याचिका का समर्थन किया। 16 अगस्त 2019 के अपने आदेश के अनुसार,

एन. सी. एल. ए. टी. इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि 270 दिनों से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए निगमित देनदार के परिसमापन का आदेश देना होगा और तदनुसार एन. सी. एल. टी. को परिसमापन के उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इस न्यायालय के समक्ष दीवानी अपील एन. सी. एल. ए. टी. के कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन के निर्देश के आदेश से उत्पन्न हुई और सी. ओ. सी. द्वारा 26 अगस्त 2019 को स्थापित की गई थी।

8. इस अदालत ने 6 सितंबर को दीवानी अपील में नोटिस जारी किया

2019 और निगमित देनदार के परिसमापन पर रोक लगा दी। आई. बी. सी. की धारा 12 (3) के दूसरे प्रावधान को 16 अगस्त 2019 से 2019 के संशोधन अधिनियम 26 द्वारा संशोधित किया गया था ताकि दिवाला शुरू होने की तारीख से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 330 दिनों की समय सीमा निर्धारित की जा सके। 24 सितंबर को 2019 , इस न्यायालय ने तदनुसार आर. पी. को 21 दिनों की अवधि के भीतर नए प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सी. ओ. सी. को दो सप्ताह के भीतर "मामले में अंतिम निर्णय" लेने का निर्देश दिया गया। यह निर्णय इस न्यायालय के समक्ष 5 नवंबर 2019 को रखा जाना था। आरपी ने 26 सितंबर 2019 को नई समाधान योजनाओं को आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की, और समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2019 थी। 23 अक्टूबर 2019 को सी. ओ. सी. ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारित समय सीमा के भीतर केवल एक समाधान योजना प्राप्त हुई थी। डी. वी. आई. ने 4 नवंबर 2019 को एक वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस बीच 6 नवंबर 2019 को,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. ओ. सी. ने डी. वी. आई. सहित आर. पी. द्वारा प्राप्त तीन समाधान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए चार सप्ताह के विस्तार की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष आई. ए. 6 का प्रस्ताव रखा। 13 नवंबर 2019 को जब आई. ए. इस न्यायालय के समक्ष आया, तो एक आदेश पारित किया गया था कि:

" प्रस्ताव आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त होने वाले पांच प्रस्तावों तक ही विचार सीमित होना चाहिए। इसके बाद प्राप्त दो प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. 21 नवंबर 2019 को, सी. ओ. सी. ने 13 नवंबर 2019 के आदेश में संशोधन के लिए इस आधार पर फिर से एक आई. ए. पेश किया कि पांच प्रस्ताव आवेदकों ने प्रस्तावों के नए निमंत्रण का जवाब दिया था, लेकिन केवल एक ने विज्ञापन में निर्दिष्ट अंतिम तिथि से पहले समाधान योजना प्रस्तुत की थी।

10. 2 दिसंबर 2019 को, पहले के आदेश में संशोधन की मांग करने वाले आई. ए. को इस न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।

11. 20 जनवरी 2020 को, जब इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही आई, तो मामले को अंतिम रूप देने के लिए दो सप्ताह का विस्तार दिया गया। समाधान योजना। 7 फरवरी 2020 को, डी. वी. आई. ने 17 जनवरी 2020 की अपनी समाधान योजना के साथ एक परिशिष्ट प्रस्तुत किया। 10 फरवरी 2020 को इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि एक समाधान योजना बनाई जा रही है

6 2019 का आई. ए. No.168814 7 2019 का आई. ए. No.177847 सी. ओ. सी. ऑफ ए. एम. टी. ई. के ऑटो लिमिटेड।

निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर टी. वेंकटसुब्रमणियन [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

मई 2020 में, सी. ओ. सी. ने डी. वी. आई. की समाधान योजना की मंजूरी के लिए आई. ए. 3 8 दायर किया। 8 जून 2020 को, इस न्यायालय ने एक पखवाड़े के भीतर अनुमोदन आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को एन. सी. एल. टी. को सौंपने का आदेश पारित किया। एन. सी. एल. टी. और इस न्यायालय के समक्ष बिताए गए समय को लंबी विराम तिथि की गणना के लिए बाहर रखने का निर्देश दिया गया था। उसी दिन आर. पी. द्वारा डी. वी. आई. को 15 जून 2020 तक 150 करोड़ रुपये की शेष राशि के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के लिए एक ईमेल भेजा गया था। डी. वी. आई. ने दाखिल किया

12 जून 2020 को इस न्यायालय के समक्ष आवेदन में कोविड-19 की शुरुआत के प्रभाव की जांच करने और समझने और समाधान योजना का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए इसे दो महीने की अवधि देने के लिए 8 जून 2020 के आदेश में संशोधन करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही, आर. पी. ने डी. वी. आई. द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना की मंजूरी के लिए उसी दिन एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया। इस न्यायालय के समक्ष दो महीने का समय बढ़ाने की मांग करते हुए, डी. वी. आई. ने अपने आई. ए. में अन्य बातों के साथ कहा कि:

" 4. डी. वी. आई. की समाधान योजना की मंजूरी के लिए अपीलार्थी द्वारा अनुमोदन आवेदन, 08.06.2020 पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जब आवेदक ने प्रस्तुत किया कि कोविड-19 महामारी के कारण डी. वी. आई. की समाधान योजना (जैसा कि सी. ओ. सी. द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित) थी

वर्तमान परिस्थितियों में व्यवहार्य और व्यवहार्य नहीं है और उत्तरदाता संख्या 3/आवेदक को भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है

वाहन उद्योग के रूप में (जिसमें निगमित ऋणदाता के समग्र व्यवसाय और वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रभाव शामिल है लेकिन यह सीमित नहीं है)। यह.

इसलिए यह अनुरोध किया गया कि यह माननीय न्यायालय समाधान योजना की मंजूरी के मुद्दे को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास भेज दे, ताकि पक्षकार समाधान योजना की शर्तों पर फिर से बातचीत कर सकें और समाधान योजना को मंजूरी देने से पहले सभी हितधारकों को सुन सकें। [.....]

7. [.....]

आरपी द्वारा प्रदान की गई उक्त जानकारी के प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर और एक विस्तृत परीक्षा और सत्यापन के अधीन, आवेदक, वर्तमान चरण में, समझता है कि

जानकारी महत्वपूर्ण है।

8 2020 का आई. ए. सं. 48906 सी. पी. (आई. बी.) No.42/सी. एच. डी./एच. आर. वाई./2017 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में 2020 का आई. ए. No.54321 2020 का 1 0 10 आई. ए. No.225

प्रदान की गई जानकारी दृढ़ता से प्रतिकूल प्रभाव का संकेत देती है।

[.....]

9. हालाँकि, कोविड-19 महामारी ने भौतिक रूप से और

अंतर्निहित वाणिज्यिक धारणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला

निगमित ऋणदाता और इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता समाधान योजना।

10. आदेश के तहत दिए गए सीमित समय का सामना करते हुए,

आर. पी. प्रत्यर्थी संख्या 3/आवेदक पर जोर दे रहा है कि यह आशय पत्र को निष्पादित करता है और अपनी अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है

समाधान योजना के अनुसार जिसे मंजूरी दी गई थी, और

जिसे अब एन. सी. एल. टी. के समक्ष दाखिल किया जाना है।

11. कि प्रत्यर्थी संख्या 3/आवेदक भी इससे पीड़ित है

आई. एन. आर. 150 की अपनी मौजूदा बैंक गारंटी के आह्वान की धमकी

डी. वी. आई. समाधान योजना के समर्थन में जमा किए गए करोड़, यदि यह आशय पत्र को निष्पादित नहीं करता है और अतिरिक्त प्रस्तुत करता है

बैंक गारंटी "।

(जोर दिया गया)

12. 18 जून 2020 को डी. वी. आई. द्वारा दायर आई. ए. को इससे पहले सूचीबद्ध किया गया था।

न्यायालय जब निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

" प्रस्ताव को वापस लेने के लिए आवेदक द्वारा किया गया आवेदन

उनके कहने पर इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों में से। द. तदनुसार आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

(जोर दिया गया)

इस अदालत के आदेश के बाद, आर. पी. ने डी. वी. आई. से कहा कि

150 करोड़ रुपये की शेष राशि के लिए एक प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करें जिसे 6 जुलाई 2020 को दोहराया गया था और 10 जुलाई 2020 की बाहरी सीमा निर्धारित की गई थी। इस बीच, 30 जून 2020 को डी. वी. आई. ने इस आधार पर इस न्यायालय के समक्ष अपना सुधार आवेदन दायर किया कि:

(i) डी. वी. आई. द्वारा कभी कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।

आदेश की वापसी; और

11 ए. एम. टी. ई. के. ऑटो लिमिटेड के 2020 सी. ओ. सी. का 1 1 आई. ए. No.58156।

निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर वेंकटसुब्रमणियन [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

((ख)

डी. वी. आई. ने किसी भी राहत के लिए पहले कभी इस अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था।

समय बढ़ाने की मांग करना भी शामिल है।

13. एन. सी. एल. टी. ने 9 जुलाई 2020 को प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एक आदेश पारित किया

डी. वी. आई. द्वारा प्रस्तुत योजना। इसके बाद, 10 जुलाई 2020 को, पूर्ववर्ती आर. पी. द्वारा डी. वी. आई. को कार्यान्वयन और निगरानी समिति ("आई. एम. सी".) को अपना नामांकन प्रदान करने के लिए एक ईमेल भेजा गया। इस ईमेल के माध्यम से, डी. वी. आई. से 14 जुलाई 2020 को निर्धारित आई. एम. सी. की पहली बैठक में भाग लेने का भी अनुरोध किया गया था। 14 जुलाई 2020 को, डी. वी. आई. ने अपने ईमेल में कहा कि आई. एम. सी. का गठन और बैठकें आयोजित करना समय से पहले था और समाधान योजना को मंजूरी देने वाले 9 जुलाई 2020 के एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ अपील करने का अपना इरादा दर्ज किया। 21 जुलाई 2020 को, आर. पी. ने समाधान योजना को लागू करने और शेष 150 करोड़ रुपये के लिए एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए डी. वी. आई. को एक संचार को संबोधित किया। सी. ओ. सी. द्वारा डी. वी. आई. को 23 जुलाई 2020 को भेजे गए एक पत्र में इसे दोहराया गया था। डी. वी. आई. ने 25 जुलाई 2020 के अपने पत्र में एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के अपने इरादे को दोहराया और अंततः 9 जुलाई 2020 के एन. सी. एल. टी. के आदेश को चुनौती देते हुए एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपनी अपील दायर की। उक्त अपील 3 सितंबर 2020 के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, डी. वी. आई. ने समाधान योजना के खंड 8.7 का आह्वान करते हुए एक ईमेल को संबोधित किया ताकि इसे तुरंत समाप्त किया जा सके। ईमेल में लिखा था कि:

" 6. हमारे मुवक्किल का कहना है कि कोविड के प्रकोप को देखते हुए

19 मार्च 2020 से महामारी और आज तक जारी है

निगमित देनदार के व्यवसाय/परिसंपत्तियाँ/राजस्व

₹300 से अधिक प्रतिकूल और भौतिक रूप से प्रभावित हुआ

समाधान योजना के खंड 8.7 (iii) को लागू करने के लिए। यह

एक 'फोर्स मैजेयर इवेंट' का गठन करता है (जैसा कि एमटेक में परिभाषित किया गया है) समाधान योजना) जो एक स्व-प्रचालन खंड है जो

समाधान योजना को तुरंत समाप्त करना। का विस्तार

व्यवसाय/परिसंपत्तियों/पर उपरोक्त प्रतिकूल और भौतिक प्रभाव

निगमित देनदार का राजस्व अनियंत्रित बना हुआ है।

एन. सी. एल. टी. चंडीगढ़ के समक्ष कार्यवाही में आपके द्वारा। किसी भी मामले में घटना, ईमेल के माध्यम से मांगी गई जानकारी को रोकना

दिनांक 13 जुलाई 2020 केवल इस तथ्य को पुष्ट करता है कि घटना बल दुर्घटना की घटना हुई है जिसके परिणामस्वरूप तुरंत

एमटेक समाधान योजना की समाप्ति "।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. 26 अगस्त 2020 को सी. ओ. सी. ने इस अदालत के समक्ष इस आधार पर अवमानना याचिका दायर की कि डी. वी. आई. इस आदेश का उल्लंघन कर रहा था।

अदालत ने 18 जून 2020 को समाधान योजना को वापस लेने की मांग की। 10 सितंबर 2020 को, डी. वी. आई. ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष लंबित अपील में प्रदर्शन बैंक को रद्द करने और वापस करने के लिए आई. ए. 1 4 दायर किया।

15. 25 सितंबर 2020 को सी. ओ. सी. द्वारा स्थापित अवमानना याचिका में इस अदालत द्वारा नोटिस जारी किया गया था। 16. 14 दिसंबर 2020 को, इस न्यायालय द्वारा डी. वी. आई. द्वारा दायर सुधार आवेदन पर नोटिस जारी किया गया था।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील जिन्होंने मुख्य रूप से आग्रह किया है

चुनाव लड़ने वाले दलों की ओर से प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:

((i)

सुधार के समर्थन में डी. वी. आई. के लिए श्री मुकुल रोहतगी आवेदन;

श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल के समर्थन में

((ख)

सी. ओ. सी. द्वारा दायर अवमानना याचिका;

(111) श्री नीरज किशन कौल, आर. पी. के विद्वान वरिष्ठ वकील;

और

(iv) डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील

अवमानना करने वाले का।

18. डी. वी. आई. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस अदालत के 18 जून 2020 के आदेश की आवश्यकता है।

इस आधार पर सुधार या स्पष्ट किया जाना कि यह दो तथ्यात्मक गलत धारणाओं पर आगे बढ़ता है। तथ्यात्मक त्रुटियाँ इस प्रकार बताई गई हैं:

((i)

डी. वी. आई. द्वारा प्रस्तुत आई. ए. को वापस लेने के लिए था।

प्रस्ताव (समाधान योजना); और

इस न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं

((ख)

डी. वी. आई. का उदाहरण।

19. निवेदन यह है कि न्यायालय की यह टिप्पणी कि "यदि वह [डी. वी. आई.] इस तरह की प्रथा में लिप्त है, तो इसे इस प्रकार माना जाएगाः

इस न्यायालय की अवमानना एक तथ्यात्मक गलत धारणा पर आधारित है। उपरोक्त परिसरों में से पहले पर न्यायालय को संबोधित करते हुए श्री रोहतगी ने कहा कि

13 ए. एम. टी. ई. के. ऑटो लिमिटेड के 2020 सी. ओ. सी. की अवमानना याचिका 2020 14 आई. ए. No.21814।

निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर वेंकटसुब्रमणियन [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

डी. वी. आई. द्वारा 12 जून 2020 को दायर किए गए आवेदन में जो राहत मांगी गई थी, वे निम्नलिखित शर्तों में थीं:

(क) उत्तरदाता संख्या 3/आवेदक को परीक्षा करने और समझने के लिए आदेश की तारीख से 2 (दो) महीने की अवधि देने के लिए दिनांकित 08.06.2020 आदेश को संशोधित करने वाला आदेश पारित करें।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव और समाधान योजना की शर्तों पर समिति के साथ चर्चा करने के लिए लॉकडाउन

लेनदार और उसके बाद एन. सी. एल. टी. को 2020 की आई. ए. संख्या 48906 के मामले पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं;

(ख) लेनदारों की समिति और समाधान पेशेवर को उपरोक्त प्रक्रिया के समापन तक मौजूदा समाधान योजना पर कार्य नहीं करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करें, बशर्ते कि आवेदक/प्रतिवादी संख्या 3 ने ऋणदाता की अवधि बढ़ा दी हो।

इसी अवधि के लिए मौजूदा बैंक गारंटी;

20. यह आग्रह किया गया कि डी. वी. आई. की ओर से समाधान योजना से हटने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके विपरीत, जो आई. ए. ने अभिनिर्धारित किया यह था कि 15 दिनों की अवधि जो 8 जून 2020 से शुरू हुई थी, एन. सी. एल. टी. के लिए अनुमोदन आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए निर्धारित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप पक्षों के लिए एक सार्थक चर्चा और बातचीत में प्रवेश करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा हुई थीं। डी. वी. आई. ने प्रस्तुतिकरण के अनुसार, इस बात पर जोर दिया कि मंजूरी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जो अवधि एन. सी. एल. टी. के लिए आरक्षित थी,

जो 23 जून 2020 को समाप्त होने वाला था, अपर्याप्त था और प्रदर्शन बैंक गारंटी के आह्वान पर खतरा था। इसी संदर्भ में डी. वी. आई. ने निगमित देनदार के व्यवसाय पर कोविड-19 के गंभीर वित्तीय प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिसके संदर्भ में उसने निगमित देनदार के व्यवसाय और वित्तीय स्वास्थ्य पर महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए समय मांगा। इस न्यायालय के आदेश में निर्धारित तथ्यात्मक परिसर के दूसरे पर, डी. वी. आई. ने जोर देकर कहा है कि उसने समय बढ़ाने की मांग के लिए इस न्यायालय के समक्ष पहले कभी कोई आवेदन नहीं किया था और इसलिए इस न्यायालय के आदेश का आधार तथ्यात्मक रूप से गलत है।

डी. वी. आई. की ओर से जिस निवेदन का आग्रह किया गया है, उसका विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और श्री नीरज ने विरोध किया है।

किशन कौल, विद्वान वरिष्ठ वकील, क्रमशः सी. ओ. सी. और आर. पी. की ओर से पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा किः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के आदेश के बाद एक विस्तृत प्रक्रिया शुरू की गई थी यह न्यायालय 24 सितंबर 2019 को यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाधान योजनाओं को आमंत्रित किया जा सकता है ताकि निगमित देनदार के परिसमापन के आदेश को निरस्त किया जा सके। डी. वी. आई. इस अदालत में कार्यवाही पहुंचने से पहले ही मैदान में था और 24 सितंबर 2019 के आदेश के बाद भी उसने मैदान में उतरने के अपने इरादे का संकेत दिया था। 4 नवंबर 2019 से जब डी. वी. आई. ने अपना

वित्तीय प्रस्ताव, समय विस्तार इस न्यायालय द्वारा 13 नवंबर 2019,2 दिसंबर 2019,20 जनवरी को दिया गया था।

2020 और 10 फरवरी 2020। हालांकि सी. ओ. सी. द्वारा विस्तार की मांग की गई थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह एक समाधान योजना को अंतिम रूप देने और अनुमोदन की सुविधा के लिए था और डी. वी. आई. समाधान आवेदकों में से एक था। इसके बाद सी. ओ. सी. ने 11 फरवरी 2020 को डी. वी. आई. की समाधान योजना को मंजूरी दी, सी. ओ. सी. द्वारा 13 मई 2020 को एक आई. ए. दायर किया गया था। इस न्यायालय ने 8 जून 2020 के एक आदेश द्वारा अनुमोदन आवेदन पर विचार करने के लिए कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. को भेज दिया। तनाव पैदा करना।

डी. वी. आई. द्वारा 12 जून 2020 को दायर आई. ए. पर, यह आग्रह किया गया था कि डी. वी. आई. द्वारा समाधान योजना के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं से बाहर निकलने का प्रयास किया गया था, जिसे सी. ओ. सी. द्वारा 11 फरवरी 2020 को कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव को उजागर करके अनुमोदित किया गया था। इसके बावजूद अदालत ने 18 जून 2020 को आई. ए. को खारिज कर दिया:

(क) डी. वी. आई. समाधान योजना के अनुसरण में कदम उठाने में विफल रहा जिसे 9 जुलाई 2020 को एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित किया गया था।

((i) प्रदर्शन की दूसरी किश्त प्रस्तुत करने में विफल रहना।

150 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी।

((ii) आई. एम. सी. को अपना नामांकन प्रदान करने में विफल;

((ग) आई. एम. सी. की बैठकों में भाग लेने से इनकार करना;

((iv) अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से इस दलील की स्थापना करना कि एक आकस्मिक घटना हुई थी जिसके परिणामस्वरूप समाप्ति हुई थी।

समाधान योजना।

(ख) यह आचरण, यह प्रस्तुत किया गया है, इस आदेश द्वारा नोटिस पर रखे जाने के बावजूद इसमें दूषित है।

18 जून 2020 को न्यायालय ने कहा कि:

(i) डी. वी. आई. का आई. ए. खारिज हो गया; और ओ. सी. ऑफ एमटेक ऑटो लिमिटेड।

निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकरटकासुब्रमणियन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

((ii) समाधान योजना से हटने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप अवमानना क्षेत्राधिकार का आह्वान होगा।

डी. वी. आई. ने समाधान योजना के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया।

सॉलिसिटर जनरल ने इस प्रकार आवेदन का विरोध किया है

अभियोग और उपरोक्त पर अवमानना याचिका का समर्थन किया

मुद्दे।

21. इसी तरह की दलीलों को स्वीकार करते हुए, श्री नीरज किशन कौल, वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि:

(i) कोविड-19 के कारण बल प्रयोग का एक अनुरोध था

इससे पहले डी. वी. आई. द्वारा दायर आवेदन में विशेष रूप से उठाया गया 12 जून 2020 को अदालत;

(ii) डी. वी. आई. के अधिवक्ताओं द्वारा संबोधित 3 सितंबर 2020 के एक पत्र द्वारा, 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश को खारिज करने के बाद भी बल प्रयोग की याचिका स्थापित की गई थी।

आई. ए.; और

(iii) एन. सी. एल. ए. टी. से पहले भी, डी. वी. आई. ने 12 सितंबर 2020 को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया था, जिसमें बल प्रयोग के मामले की पैरवी की गई थी।

कोविड-19 महामारी पर आधारित।

इन आधारों पर, यह प्रस्तुत किया गया कि डी. वी. आई. ने एक

अनुमोदित समाधान योजना के तहत अपने दायित्व के अनुपालन से बचने के लिए राष्ट्रीय और जानबूझकर प्रयास, हालांकि इसके आई. ए. को इस न्यायालय द्वारा 2020 में विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था।

22. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए

अवमानकर्ता के आधे ने प्रस्तुत किया कि:

(i) अवमानना क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए, एक अवज्ञा

जानबूझकर होना चाहिए न कि निहितार्थ से;

((ii) किसी कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा कानूनी अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

अवमानना का गठन करता है;

(iii) आदेश को चुनौती देने में डी. वी. आई. अपने वैध अधिकारों के भीतर था।

एन. सी. एल. टी.;

((iv) डी. वी. आई. द्वारा संबोधित प्रस्तुतियों के गुण-दोष पर लिया जाने वाला दृष्टिकोण कि क्या समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्ववर्ती शर्तों में [2021] 3 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूरा किया गया अवमानना का आह्वान करने का आधार नहीं हो सकता है

अधिकार क्षेत्र। एक न्यायनिर्णायक मंच किसी न किसी तरह डी. वी. आई. की प्रस्तुतियों के गुणागुण के आधार पर निर्णय ले सकता है, लेकिन अवमानना की याचिका डी. वी. आई. की याचिका की स्वीकृति या अस्वीकृति पर आधारित नहीं हो सकती है कि समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। इस संदर्भ में, अवमानना याचिका पर अवमानकर्ता द्वारा दायर जवाब विशेष रूप से डी. वी. आई. के मामले को निर्धारित करता है कि

समाधान योजना के कार्यान्वयन की पूर्व शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। उत्तर के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर जोर दिया गया है:

" 5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. वी. आई. द्वारा प्रस्तुत और सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना दिनांक 17.01.2020 (आर/डब्ल्यू दिनांकित 07.02.2020) में कई दायित्व/दायित्व शामिल हैं।

इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और निगमित ऋणदाता की चालू चिंता की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि समाधान पेशेवर /

सी. ओ. सी. अन्य बातों के साथ-साथ कुछ का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा

समाधान योजना के तहत पूर्ववर्ती शर्तों में शामिल हैं बंधक की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करने में विफलता

कॉर्पोरेट देनदार की ओर से एक दीर्घकालिक पट्टा विलेख निष्पादित करते समय ऐस कॉम्प्लेक्स भूमि का। 29.01.2020 दिनांकित एक ईमेल द्वारा, इस तरह के चूक को डी. वी. आई. के प्रतिनिधि द्वारा समाधान पेशेवर के उचित नोटिस में लाया गया था। पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करने की उपरोक्त आवश्यकता को डी. वी. आई. द्वारा परिशिष्ट में दोहराया गया था।

दिनांकित 07.02.2020। 29.01.2020 दिनांकित ईमेल की एक प्रति अनुलग्नक आर-1 के रूप में संलग्न है। (पृष्ठ 37-40) 6. यह रिकॉर्ड की बात है कि उपरोक्त मुद्दे थे

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष लाया गया,

समाधान योजना के अनुमोदन के लिए समाधान पेशेवर द्वारा दायर आई. ए. की सुनवाई के समय चंडीगढ़ ("एन. सी. एल. टी".)। हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने समाधान योजना के प्रावधानों को एकतरफा रूप से संशोधित करके 09.07.2020 पर समाधान योजना को मंजूरी दी।

डी. वी. आई. का नुकसान। सम्मानपूर्वक, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एएमटीईके ऑटो लिमिटेड के उपरोक्त प्रावधानों की पूर्ति के अभाव में।

निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर सुब्रमण्यन [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

समाधान योजना (दूसरों के बीच), बहुत

और निगमित ऋणदाता का पुनरुद्धार खतरे में विफल रहता है। डी. वी. आई. ने तदनुसार राष्ट्रीय कंपनी कानून के समक्ष अपनी अपील दायर करके सामान्य व्यवस्था के तहत उपलब्ध अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ("एनसीएलएटी")। उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और जैसा कि यहाँ नीचे विस्तृत किया गया है, समाधान पेशेवर को भी समाप्ति के बारे में सूचित किया गया था

द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के स्व-परिचालन समाप्ति खंड के अनुसार 03.09.2020 पर समाधान योजना

सीओसी।

9. डी. वी. आई. की संकल्प योजना दिनांक 17.01.2020 (इसके परिशिष्ट दिनांक 07.02.2020 के साथ पढ़ा जाता है) में अन्य बातों के साथ-साथ आकस्मिकता भी शामिल है।

खंड 2.5 के रूप में शर्तें। 2 , जिसे इस रूप में निर्धारित किया गया है

इसके अंतर्गत: " जब तक समाधान आवेदकों द्वारा माफ नहीं किया जाता (जहां लागू कानून के तहत अनुमति है), इस समाधान योजना की उप-धारा 5.1 (चालू चिंता के रूप में अधिग्रहण) के संदर्भ में समाधान आवेदकों द्वारा कॉर्पोरेट ऋणदाता का अधिग्रहण।

और समाधान योजना की उप-धारा 5.1 और 5.2 (चालू चिंता के रूप में अधिग्रहण) में निर्धारित कोई भी अन्य कार्रवाई समाधान आवेदकों के लिए संतोषजनक रूप और तरीके से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर है ("प्रभावी तिथि शर्तें")

एन. सी. एल. टी. स्वीकृत तिथि की घटना;

) इसे मंजूरी देने वाले एन. सी. एल. टी. के आदेश की एक प्रति की प्राप्ति

समाधान योजना; और

) ए. सी. ई. के लिए अवधि पट्टा (20 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए)

स्वीकार्य शर्तों के साथ जटिल भूमि। " प्रस्ताव में स्वीकार्य शर्तों को परिभाषित किया गया है।

निम्नानुसार योजना बनाएँ:

" इसका मतलब एसीई के पट्टे से संबंधित शर्तें होंगी।

जटिल भूमि और उपयुक्त सुरक्षात्मक शर्तें होंगी। समाधान आवेदकों के लिए स्वीकार्य जिसमें (i) विस्त्रा आई. टी. सी. एल. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की पूर्व लिखित सहमति के माध्यम से पट्टा व्यवस्था की वैधता और निर्वाह की पुष्टि शामिल है।

21] 3 एस सी आर।

के. के. आर. इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एल. एंड टी. फाइनेंस लिमिटेड की ओर से समाधान आवेदकों को स्वीकार्य प्रपत्र और पदार्थ में प्रतिभूति न्यासी के रूप में कार्य करने वाली लिमिटेड; (ii) पट्टेदार के अनुसार समाप्ति का कोई अधिकार नहीं। जब तक पट्टा किराया का भुगतान किया जाता है; और (iii) समाधान आवेदकों को पहली बार इनकार करने का अधिकार, की बिक्री के मामले में

एसीई कॉम्प्लेक्स लैंड "।

10. इस प्रकार यह देखा गया है कि यह कॉरपोरेट देनदार के लिए समाधान योजना की आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है कि वह "स्वीकार्य शर्तों" यानी विस्त्रा आई. टी. सी. एल. (इंडिया) लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के साथ ऐस कॉम्प्लेक्स भूमि के संबंध में दीर्घकालिक पट्टे (20 साल या उससे अधिक के लिए) को निष्पादित करे।

(" विस्त्रा) अर्थात; ऐस कॉम्प्लेक्स लैंड का बंधक।

11. उल्लेखनीय है कि "स्वीकार्य शर्तों के साथ ए. सी. ई. परिसर भूमि के लिए दीर्घकालिक पट्टे (20 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए) के निष्पादन" की उपरोक्त आवश्यकता थी। दिनांकित समाधान योजना के परिशिष्ट में दोहराया गया

07.02.2020 . "

23. सुनवाई के दौरान, डॉ. सिंघवी ने निम्नलिखित मौखिक बयान दिया कि "डी. वी. आई. द्वारा दायर आवेदन

उच्चतम न्यायालय को कोविड-19 के कारण हुई देरी का समाधान खोजने पर विचार करना था। न तो बल प्रयोग का अनुरोध किया गया था और न ही किया गया है अब अनुरोध किया गया है और कोविड-19 के आधार पर केवल समय बढ़ाने की मांग की गई है। दूसरे शब्दों में, डॉ. सिंघवी का कहना है कि

(i) डी. वी. आई. ने एक आधार के रूप में बल प्रयोग की याचिका स्थापित नहीं की है

समाधान योजना से हटना; और

((ii) क्या समाधान योजना के तहत शर्तें पूर्ववर्ती हैं।

एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील में जिस मामले का आग्रह किया गया है, उसे पूरा किया गया है।

सुधार के लिए आवेदन

24. सुधार के लिए आवेदन दावे पर आधारित है

कि 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश में दो तथ्यात्मक गलत धारणाएं निहित हैं। सबसे पहले, आदेश इस आधार पर आगे बढ़ता है कि डी. वी. आई. ने 12 जून 2020 के अपने आई. ए. में समाधान योजना से हटने का इरादा किया था, जो कि मामला नहीं था; और दूसरा, आदेश इंगित करता है कि समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए समय का विस्तार सी. ओ. सी. ऑफ ए. एम. टी. ई. के. ऑटो लिमिटेड से प्राप्त किया गया था।

निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर वेंकटसुब्रमणियन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

डी. वी. आई. की ओर से, जो रिकॉर्ड के विपरीत है। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुतिकरण यह है कि डी. वी. आई. का समाधान योजना से हटने का इरादा नहीं था और केवल अर्थव्यवस्था, वाहन उद्योग और निगमित देनदार की व्यवहार्यता पर कोविड-19 महामारी के वित्तीय प्रभाव को उजागर करने का प्रयास किया। इस निवेदन को विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दोहराया है जब उन्होंने आग्रह किया कि आवेदन 12 जून 2020 को इस न्यायालय के समक्ष रखा जाए:

(1) देरी के कारण समाधान खोजने पर विचार करना था

कोविड-19;

((ii) बल प्रयोग का अनुरोध नहीं किया गया था; और (iii) एकमात्र याचिका समय बढ़ाने के लिए थी।

25. हालाँकि इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड 18 जून 2020 के आदेश की आलोचना और विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों को खारिज कर देगा। डी. वी. आई. द्वारा दायर आई. ए. को "एक आवेदन" के रूप में शैलीबद्ध किया गया था।

कि "कोविड-19 महामारी के कारण डी. वी. आई. की समाधान योजना (जैसा कि सी. ओ. सी. द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित) व्यवहार्य नहीं थी और वर्तमान परिस्थितियों में व्यवहार्य नहीं थी"। डी. वी. आई. ने प्रस्तुत किया कि जब कार्यवाही शुरू हुई 8 जून 2020 में इसने आग्रह किया था कि अर्थव्यवस्था, वाहन उद्योग और देश की वित्तीय स्थिति पर महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए इसकी समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सौंपने की आवश्यकता है।

निगमित देनदार और पक्षों को समाधान योजना की शर्तों पर फिर से बातचीत करने में सक्षम बनाना। दूसरे शब्दों में, डी. वी. आई. ने यह प्रस्तुत करना चाहा कि समाधान योजना के अनुमोदन के मुद्दे को खारिज करने का उद्देश्य सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाओं से पहले फिर से बातचीत करने में सक्षम बनाना था, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अनुमोदन का विषय हो सकता है। अब, डी. वी. आई. के इस प्रस्तुतिकरण को दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है: सबसे पहले, यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि

न्यायालय का अभिलेख अपने लिए बोलता है और न्यायिक आदेश की शर्तें दर्शाती हैं कि क्या निर्णय लिया गया है। 8 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश से संकेत मिलता है कि चूंकि नई समाधान योजना द्वारा पारित किया गया था

70 प्रतिशत के बहुमत के साथ सी. ओ. सी., "आई. ए. का मामला" अर्थात् सी. ओ. सी. द्वारा दायर 2020 का आई. ए. 48906 को [2021] 3 एस. सी. आर. के लिए एन. सी. एल. टी. को भेजा जा रहा था।

"उचित आदेश" पारित करना। 8 जून 2020 के न्यायालय के आदेश में बिल्कुल कोई संकेत नहीं है कि

आई. ए. ने एन. सी. एल. टी. को अर्थव्यवस्था, वाहन उद्योग और कॉर्पोरेट देनदार के स्वास्थ्य पर महामारी के प्रभाव के संबंध में डी. वी. आई. द्वारा किए जा रहे नए मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा था। दूसरे शब्दों में, डी. वी. आई. ने 8 जून 2020 के आदेश को पढ़ने का प्रयास किया है, जिसका कोई आधार नहीं है।

क्रम के संदर्भ में अभिव्यक्ति। इस तरह का अभ्यास स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। दूसरा, आई. बी. सी. की धारा 31 निर्णय प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने से पहले पालन की जाने वाली आवश्यकताओं का प्रावधान करती है। उप-धारा 31 की धारा (1) और (2) निम्नलिखित शब्दों में हैं:

" (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगा जो निगमित देनदार और उसके लिए बाध्यकारी होगी।

कर्मचारी, सदस्य, ऋणदाता, [जिसमें केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण शामिल है, जिन पर ऋण है।

उस समय के लिए किसी भी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान का सम्मान

लागू होना, जैसे कि ऐसे अधिकारी जिनके लिए वैधानिक बकाया है बकाया,] गारंटर और संकल्प में शामिल अन्य हितधारक

योजना:

[बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस उप-धारा के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आदेश पारित करने से पहले, संतुष्ट करेगा

कि समाधान योजना में इसके प्रभावी होने के लिए प्रावधान हैं कार्यान्वयन।]

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि समाधान योजना उप-धारा में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है।

(1) , यह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है।

26. धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की भूमिका समाधान योजना के अनुमोदन पर अस्तित्व में आती है

धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत सी. ओ. सी.। कानून द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को जो कार्य सौंपा गया है, वह यह निर्धारित करना है कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को पूरा करता है या नहीं। धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकताएँ। यह संतुष्ट होने पर कि समाधान योजना उन आवश्यकताओं को पूरा करती है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण "आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगा"। अनुमोदन का आदेश पारित करने से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को खुद को संतुष्ट करना होता है कि समाधान सी. ओ. सी. ऑफ ए. एम. टी. ई. के. ऑटो लिमिटेड।

निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर वेंकटसुब्रमणियन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

रिकॉर्ड से। यह त्रुटिपूर्ण भी है क्योंकि प्रस्तुत करना उस कार्य की प्रकृति के विपरीत है जिसका प्रयोग न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 31 के प्रावधानों में संलग्न सादे शब्दों द्वारा किए जाने की उम्मीद है। जब डी. वी. आई. ने 12 जून 2020 को अपना आवेदन पेश किया, तो उसने जोर देकर कहा कि 15 दिनों की समय सीमा के परिणामस्वरूप पक्षों को किसी भी सार्थक चर्चा और बातचीत में प्रवेश करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हुई हैं। यह कहना कि मंजूरी के बाद बातचीत और चर्चा की कोई गुंजाइश थी सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना आई. बी. सी. की शर्तों के स्पष्ट रूप से विपरीत होगी। डी. वी. आई. ने अपने आवेदन के पैराग्राफ 7 में कहा कि वह अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों के लिए स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग कर रहा था:

(i) इसकी प्रबंधन टीम अमेरिका से बाहर स्थित थी और इसे पाया।

महामारी के दौरान भारत की यात्रा करना मुश्किल;

((ii) महामारी का देश के व्यापार, राजस्व, परिसंपत्तियों और वित्तीय और परिचालन स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ा था।

निगमित देनदार;

(iii) 4 मई 2020 को हुई सी. ओ. सी. की बैठक में निगमित ऋणदाताओं के प्रदर्शन के बारे में अद्यतन जानकारी दर्ज की गई।

वित्तीय स्वास्थ्य;

(v) डी. वी. आई. की समाधान योजना कोविड-19 महामारी से पहले कॉर्पोरेट देनदार की वित्तीय स्थिति पर आधारित थी;
(vi) महामारी ने कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार के लिए व्यापार योजना और वित्तीय प्रस्ताव में अंतर्निहित वाणिज्यिक धारणाओं को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था;

(vii) आर. पी. के लिए डी. वी. आई. को समाधान योजना के अनुसार एक अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता थी, जिसमें विफल रहने पर डी. वी. आई.

आईएनआर 150 करोड़ की प्रदर्शन बैंक गारंटी के आह्वान के खतरे का सामना करना पड़ा जो उसने प्रस्तुत किया था; [2021] 3 एस. सी. आर.

(viii) डी. वी. आई. ने "विशेष इक्विटी" का भी अनुरोध किया। विशेष इक्विटी के संदर्भ में एक मैदान का एक अलग स्वाद है जिसे स्थापित किया जा रहा है

निष्पादन बैंक गारंटी के आह्वान पर रोक लगाना। डी. वी. आई. ने (i) निगमित देनदार के व्यापार और वित्तीय स्वास्थ्य पर महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए; (ii) समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर इन परिस्थितियों के परिणामी प्रभाव; और (iii) पक्षों को समाधान योजना की शर्तों पर बातचीत करने की अनुमति देने के लिए दो महीने की अवधि की मांग की। इसी पृष्ठभूमि में, आई. ए. में जो राहत मांगी गई थी, वह डी. वी. आई. को कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के प्रभाव की जांच करने और समझने के लिए दो महीने की अवधि की अनुमति देने के लिए थी, ताकि लॉकडाउन की शर्तों पर चर्चा की जा सके।

सी. ओ. सी. के साथ समाधान योजना; और

(ix) डी. वी. आई. ने अपने आई. ए. में सी. ओ. सी. और आर. पी. के खिलाफ उपरोक्त प्रक्रिया के समापन तक मौजूदा समाधान योजना पर कार्रवाई करने के लिए एक निरोधक आदेश की भी मांग की, बशर्ते कि इसका विस्तार किया जाए।

मौजूदा बैंक गारंटी।

27. 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश को डी. वी. आई. द्वारा दायर आई. ए. के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। जब तीनों

न्यायाधीश पीठ ने 18 जून 2020 के अपने आदेश में कहा कि "प्रस्ताव को वापस लेने के लिए आवेदक द्वारा किया गया आवेदन इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है" इसे डी. वी. आई. द्वारा स्थापित याचिका के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इस तथ्य को गलत नहीं माना जा सकता है कि डी. वी. आई. ने एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के बावजूद 11 फरवरी की सी. ओ. सी. की बैठक में अनुमोदित होने से पहले सी. ओ. सी. के समक्ष चर्चा और संशोधन किया था।

2020 , समाधान योजना को पूरा करने के लिए अपने आवेदनों को रद्द करने की मांग कर रहा था। महामारी के प्रभाव की फिर से जांच करने और समाधान योजना की शर्तों पर फिर से बातचीत करने की अनुमति देने की याचिका से यह स्पष्ट होता है कि डी. वी. आई. उन दायित्वों की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था जिन पर वह सहमत था। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि हालांकि डी. वी. आई. 150 करोड़ रुपये की अपनी प्रदर्शन बैंक गारंटी की दूसरी किश्त प्रस्तुत करने के लिए बाध्य था, लेकिन वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। इसके विपरीत, बैंक की पहली किश्त के आह्वान की आशंका

डी. वी. आई. ने 150 करोड़ रुपये की गारंटी के लिए विशेष इक्विटी का अनुरोध किया और दो महीने में फिर से बातचीत की प्रक्रिया पूरी होने तक बैंक गारंटी को जीवित रखने की अनुमति देने के लिए एक

निर्देश की मांग की। यह फिर से डी. वी. आई. के चूक से उत्पन्न बैंक गारंटी के आह्वान के परिणाम को दूर करने के लिए था। डी. वी. आई. को सी. ओ. सी. ऑफ एमटेक ऑटो लिमिटेड का विस्तार करने की अनुमति देने के लिए एक निर्देश की मांग करने वाली प्रार्थना।

निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर वेंकटसुब्रमणियन [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

बैंक गारंटी को कलात्मक रूप से लिखा गया था क्योंकि इसका प्रभाव होगा

बैंक गारंटी के आह्वान को रोकें। हममें से एक (न्यायमूर्ति एम. आर. शाह) उस पीठ के सदस्य थे जिसने 12 जून 2020 को डी. वी. आई. द्वारा दायर आई. ए. पर राहत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन वर्तमान के उद्देश्य के लिए

इसमें कोई संदेह नहीं है कि डी. वी. आई. अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकरने की कोशिश कर रहा था। जब 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश में "आवेदन" का उल्लेख किया गया है प्रस्ताव को वापस लेने के लिए आवेदक द्वारा किया गया ", संदर्भ स्पष्ट रूप से आई. ए. की मूल सामग्री के लिए है जो इंगित करता है कि डी. वी. आई.

समाधान योजना में उसके द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए तैयार नहीं था। 18 जून 2020 के आदेश के बाद के भाग ने डी. वी. आई. को नोटिस पर रखा कि यदि वह भविष्य में इस तरह की प्रथाओं में लिप्त है, तो इसे "इस अदालत द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को देखते हुए इस अदालत की अवमानना के रूप में माना जाना चाहिए। डी. वी. आई. प्रस्तुत करता है कि इस न्यायालय के आदेश उसके कहने पर पारित नहीं किए गए थे क्योंकि समय बढ़ाने के लिए आवेदन पहले सी. ओ. सी. के अनुरोध पर दिए गए थे। डी. वी. आई. द्वारा दायर की गई तारीखों की सूची से संकेत मिलता है कि डी. वी. आई. ने 5 जून 2020 को अपील में अपना वकालतनामा दायर किया था, जिस पर वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने जोर दिया था। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय का विस्तार समाधान आवेदकों के प्रस्तावों पर उचित विचार करने में सक्षम बनाने के लिए था, जिनमें से डी. वी. आई. निस्संदेह एक आवेदक था। जिस तरह से कार्यवाही शुरू हुई, उससे यह स्पष्ट है। 24 सितंबर 2019 को, इस अदालत ने आर. पी. को 21 दिनों की अवधि के भीतर नए प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्देश दिया। आमंत्रण के तहत समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के परिणामस्वरूप जो इसके अनुसार जारी किए गए थे

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, एक आई. ए. को 6 नवंबर 2019 को चार सप्ताह के विस्तार की मांग करते हुए स्थानांतरित किया गया था। 13 नवंबर 2019 को, इस अदालत ने निर्देश दिया कि विचार "विज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त" पांच प्रस्तावों तक सीमित होगा। 21 नवंबर 2019 को, सी. ओ. सी. ने 13 नवंबर 2019 के आदेश में संशोधन करने की मांग की ताकि यह सही ढंग से दर्ज किया जा सके कि पांच समाधान आवेदकों ने आर. पी. द्वारा नए निमंत्रण का जवाब दिया था, लेकिन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले केवल एक समाधान योजना प्रस्तुत की गई थी। सी. ओ. सी. ने विचार करने की स्वतंत्रता मांगी

अतिरिक्त तीन समाधान प्रस्ताव, जिनमें से एक डी. वी. आई. द्वारा प्रस्ताव था। यह इस संदर्भ में था कि 2 दिसंबर 2019 को, इस न्यायालय ने तीस दिनों के भीतर नए प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्देश देकर संशोधन के लिए आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी। यह 2 दिसंबर 2019 के इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में था कि आरपी द्वारा 3 दिसंबर 2019 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी। डी. वी. आई. ने [2021] 3 एस. सी. आर. की धारा 29 ए के तहत उपक्रम प्रस्तुत किए।

6 दिसंबर 2019 को आई. बी. सी. और अन्य दस्तावेज। 31 दिसंबर 2019 को डी. वी. आई. सहित चार संस्थाओं द्वारा नई समाधान योजनाएं प्रस्तुत की गईं।

28. 6 जनवरी 2020 को, सी. ओ. सी. ने डी. वी. आई. को उच्चतम मूल्यांकन समाधान आवेदक घोषित किया। डी. वी. आई. ने 17 जनवरी 2020 को एक संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की, जिसके बाद उस दिन सी. ओ. सी. द्वारा निर्धारित मतदान को रद्द कर दिया गया। डी. वी. आई. के संशोधित प्रस्ताव पर सी. ओ. सी. की 29 वीं बैठक में चर्चा की गई। उसी दिन-20 जनवरी 2020-जब इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही सूचीबद्ध की गई थी, तो इसने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि सी. ओ. सी. अनुमोदन की प्रक्रिया में था।

समाधान योजना जिसके बाद दो सप्ताह का विस्तार दिया गया। डी. वी. आई. ने 7 फरवरी 2020 को समाधान योजना के लिए एक परिशिष्ट प्रस्तुत किया।

29. 10 फरवरी 2020 को, सी. ओ. सी. ने सी. ओ. सी. के सदस्यों द्वारा मतदान किए जाने वाले समाधान योजना के लिए एक सप्ताह के विस्तार की मांग की। उस पर

11 फरवरी 2020 में, डी. वी. आई. की समाधान योजना को मंजूरी दी गई और आर. पी. द्वारा 19 फरवरी 2020 को इस अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें सी. ओ. सी. द्वारा डी. वी. आई. की समाधान योजना की मंजूरी की सूचना दी गई। उचित दिशा-निर्देश मांगे गए। घटनाओं का यह क्रम इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि जो विस्तार दिए गए थे, वे समाधान आवेदकों को अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए थे और

बाद में प्रस्तुत की गई योजनाओं के मूल्यांकन के लिए। इसके बाद डी. वी. आई. को उच्चतम मूल्यांकन समाधान आवेदक पाया गया, विस्तार की मांग की गई और समाधान योजना को अंतिम रूप देने के लिए मंजूरी दी गई और सी. ओ. सी. द्वारा मतदान किया गया। जिसने समय बढ़ाने की मांग की, वह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है और सहायक महत्व का है। औपचारिक रूप से यह सच हो सकता है कि सी. ओ. सी. द्वारा विस्तार के लिए आवेदन किया गया था, आर. पी. ने इस अदालत को डी. वी. आई. की समाधान योजना को दी गई मंजूरी से भी अवगत कराया था। हालाँकि, डी. वी. आई. उन विस्तारों का लाभार्थी था जो इस न्यायालय द्वारा दिए गए थे। समय-समय पर दिए गए विस्तार ने डी. वी. आई. द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर विचार करने में सुविधा प्रदान की। डी. वी. आई. को यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि 8 जून 2020 का इस न्यायालय का आदेश एक त्रुटि से ग्रस्त है जब इस न्यायालय के समक्ष विस्तार की मांग करने की प्रक्रिया अंततः इसकी समाधान योजना की मंजूरी तक ले गई। सुधार के लिए डी. वी. आई. का आवेदन, दूसरे शब्दों में, समाधान योजना से पीछे हटने का एक प्रयास है जिसे उसने प्रस्तुत किया था और अपने दायित्वों से पीछे हटने का प्रयास है। यह एक कुटिल प्रयास है जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तदनुसार सुधार आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए।

सीओसी ऑफ एमटेक ऑटो लिमिटेड। निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर टी. वेंकटसुब्रमणियन [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

2020 की अवमानना याचिका संख्या 542

30. सी. ओ. सी. द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही का आधार यह है कि 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश के बावजूद, डी. वी. आई. ने अपने आचरण के अनुसार

((i) समाधान योजना के कार्यान्वयन में बाधा डालना; और

((ii) इसके द्वारा अपने आई. ए. की अस्वीकृति के लिए एक याचिका स्थापित करें।

18 जून 2020 को अदालत।

31. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील कानूनी सिद्धांत के निर्माण में सही हैं, लेकिन यह उन सिद्धांतों के अनुप्रयोग में है।

सिद्धांत जहाँ इस मामले का ठीक-ठीक पता चलता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि

((i) अवमानना अधिकारिता का प्रयोग इसके साथ किया जाना है -

निरीक्षण;

((ii) योग्यता के आधार पर किसी याचिका की स्वीकृति या अस्वीकृति विशिष्ट है।

क्या कोई पक्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहा है;

(iii) किसी आदेश की अवज्ञा उसके पहले जानबूझकर की जानी चाहिए।

अवमानना का गठन करता है;

((iv) किसी पक्ष के आचरण से जानबूझकर उल्लंघन स्पष्ट दिखाई देना चाहिए।

निहितार्थ से नहीं; और

(v) कानूनी अधिकारों और उपचारों का प्रयोग गठित नहीं होगा।

अवमानना।

32. हमें शुरुआत में ध्यान देना चाहिए कि 8 जून 2020 को, इस न्यायालय ने एक पखवाड़े के भीतर अनुमोदन आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को एन. सी. एल. टी. को सौंप दिया। एन. सी. एल. टी. ने 9 जुलाई 2020 को डी. वी. आई. द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी देते हुए एक आदेश पारित किया। डी. वी. आई. द्वारा आई. बी. सी. की धारा 61 के प्रावधानों के तहत एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपने अपीलीय उपचार का सहारा लेना अवमानना नहीं है। हालाँकि अवमानना की याचिका

डी. वी. आई. के संचालन पर आगे बढ़ता है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

(i) डी. वी. आई. द्वारा 12 जून 2020 को दायर अपने आई. ए. के पैराग्राफ 9,12,13,15 और 17 में जो याचिकाएं दायर की गई थीं, उनमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था करने की मांग की गई थी।

बल मेजर के लिए एक नींव। पैराग्राफ 9 में, डी. वी. आई. ने अनुरोध किया कि "कोविड-19 महामारी ने व्यवसाय [2021] 3 एस. सी. आर. में अंतर्निहित वाणिज्यिक धारणाओं को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

निगमित देनदार के पुनरुत्थान के लिए योजना और वित्तीय प्रस्ताव और समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता "। पैराग्राफ 12 में, डी. वी. आई. ने आग्रह किया कि आशय पत्र के निष्पादन और एक अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा करने से "

इसका अर्थ है कि स्वीकृत समाधान योजना को बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना लागू किया जा रहा है, और यह कंपनी और समग्र रूप से बाजार की बदली हुई वित्तीय स्थिति के प्रभाव को समझने के बाद योजना पर चर्चा करने के इरादे के साथ सीधे टकराव में होगा।

(ii) आई. ए. के पैरा 13 में कहा गया है कि डी. वी. आई. को एक ऐसी असंभव स्थिति में रखा गया है जहां एक ओर बदली हुई परिस्थितियों के प्रभाव को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

संकल्प पर इसके प्रभाव की जांच करने के लिए

योजना ";

(iii) पैरा 15 में, डी. वी. आई. ने प्रस्तुत किया कि "यह आवश्यक है कि सी. ओ. सी. और समाधान पेशेवर पहले [डी. वी. आई.] को योजना और इसकी व्यवहार्यता पर बदली हुई परिस्थितियों के प्रभाव की जांच करने का अवसर दिए बिना आगे न बढ़ें और फिर सी. ओ. सी. के साथ इस पर चर्चा करें";

और

(iv) अंत में, पैरा 17 में, डी. वी. आई. ने अनुरोध किया कि उसे "कॉर्पोरेट देनदार के समग्र व्यवसाय और वित्तीय स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने की अनुमति दी जा सकती है, और

डी. वी. आई. की समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर इन परिस्थितियों के परिणामी प्रभाव और पक्षों को बातचीत करने के लिए 2 (दो) महीने की अवधि दी जा सकती है।
डी. वी. आई. की समाधान योजना की शर्तें [.] "

ये कथन स्पष्ट रूप से बल आकस्मिकता की रक्षा के लिए एक नींव का संकेत देते हैं।

33. 3 सितंबर 2020 को, उपरोक्त आई. ए. को खारिज करने वाले 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश के बाद, उनकी ओर से एक ईमेल भेजा गया था।

आर. पी. को डी. वी. आई. का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता, आर्थिक कानून अभ्यास ("ई. एल. पी".) के श्री दिनेश पेडनेकर द्वारा डी. वी. आई.। ईमेल में अन्य बातों के साथ कहा गया है:

" 6. हमारे मुवक्किल का कहना है कि मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए और आज तक जारी रहने के कारण, कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय/संपत्ति/राजस्व एएमटीईके ऑटो लिमिटेड के सीओसी पर प्रतिकूल रहा है।

निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर वेंकटसुब्रमणियन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

और समाधान योजना के खंड 8.7 (iii) को ट्रिगर करते हुए 300 करोड़ रुपये से अधिक भौतिक रूप से प्रभावित। यह एक 'फोर्स मैजेयर इवेंट' (जैसा कि एमटेक समाधान योजना में परिभाषित किया गया है) का गठन करता है जो एक स्व-परिचालन खंड है जो कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय/परिसंपत्तियों/राजस्व को तुरंत समाप्त करने के लिए प्रदान करता है।

एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही में आपके द्वारा अनियंत्रित

चंडीगढ़। किसी भी स्थिति में, मांगी गई जानकारी को रोकना

13 जुलाई 2020 के ईमेल के माध्यम से केवल इस तथ्य को पुष्ट किया गया है कि फोर्स मैजेयर की घटना हुई है जिसके परिणामस्वरूप तुरंत

एमटेक समाधान योजना की समाप्ति "।

12 सितंबर 2020 को, के समक्ष दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में

एन. सी. एल. ए. टी., डी. वी. आई. ने समाधान योजना पर फिर से बातचीत करने की अनुमति देने के लिए एक कारण के रूप में कोविड-19 महामारी का फिर से अनुरोध करने की मांग की। उपरोक्त परिस्थितियों में कोई संदेह नहीं है कि 18 जून 2020 को इस न्यायालय द्वारा अपने आई. ए. की अस्वीकृति के बावजूद, डी. वी. आई. ने अपनी समाधान योजना की शर्तों द्वारा उस पर लगाए गए दायित्वों से मुक्त होने के औचित्य के रूप में वही आधार उठाना जारी रखा।

34. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी प्रस्तुतियों के दौरान, जो पहले दर्ज की गई हैं, प्रस्तुत किया था कि न तो बल प्रयोग का अनुरोध किया गया था (इस अदालत के समक्ष दायर आई. ए. में) और न ही उसके बाद।

35. डी. वी. आई. की ओर से किए गए ई. एल. पी. के 3 सितंबर 2020 के संचार का सामना करते हुए, डॉ. अभिषेक सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तुतिकरण एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष नहीं था। हालाँकि, यह भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। 36. वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि 12 सितंबर 2020 को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें डी. वी. आई. द्वारा बल प्रयोग की याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा, डी. वी. आई. समाधान योजना की मंजूरी के बावजूद विफल रहा है।

(i) आई. एन. आर. की शेष राशि के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करें।

150 करोड़;

((ii) आई. एम. सी. के लिए नामांकन करना; और (iii) आई. एम. सी. की बैठकों में भाग लेने में विफल रहे।

37. आई. बी. सी. के प्रावधान कॉर्पोरेट दिवालियापन के समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया पर आधारित हैं। प्रभावी रूप से, [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11 फरवरी 2020 को सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के बाद डी. वी. आई. के संचालन ने पूरी प्रक्रिया को विफल कर दिया है, इस प्रकार, चीजों को एक स्थिर स्थिति में ला दिया है। स्थिति की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने अदालत के समक्ष कहा है कि एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष लंबित कार्यवाही में, डी. वी. आई. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के आधार पर बल प्रयोग का अनुरोध नहीं करेगा।

38. जिस मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या अवमानना क्षेत्राधिकार का सहारा लेना वैध है और क्या इसका उपयोग किया जाना चाहिए इस मामले के तथ्य। निस्संदेह, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, डी. वी. आई. का आचरण प्रामाणिक नहीं रहा है। इस न्यायालय के समक्ष न्यायिक प्रक्रिया के दौरान समय का विस्तार एक समाधान आवेदक के रूप में डी. वी. आई. के लाभ के लिए सुनिश्चित करता है, जिसके प्रस्ताव पर आश्रय के तहत विचार किया गया था।

न्यायालय के निर्देश। डी. वी. आई. ने अपने दायित्वों से पीछे हटने का प्रयास किया और अपने आवेदन को पढ़ने के कारण 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश को पारित करने से इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा कि

डी. वी. आई. न केवल समय बढ़ाने की मांग कर रहा था, बल्कि सी. ओ. सी. द्वारा इसकी मंजूरी के बाद अपनी समाधान योजना पर फिर से बातचीत करने की भी मांग कर रहा था। फिर से, डी. वी. आई. के प्रयास को अस्वीकार करने वाले 18 जून 2020 के इस न्यायालय के आदेश के बावजूद, यह एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही के भीतर और बाहर एक ही याचिकाओं को उठाना जारी रखा। डी. वी. आई. के आचरण में ईमानदारी की कमी है। हालाँकि मुद्दा यह है कि क्या असमर्थनीय याचिका को उठाने और समाधान योजना के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहने के इस आचरण को इस न्यायालय के 18 तारीख के आदेश की अवमानना माना जा सकता है।

जून 2020। डी. वी. आई. को निस्संदेह इस आदेश के नोटिस पर रखा गया था कि यदि वह इस तरह की शर्तों पर आगे बढ़ता है, तो वह अवमानना क्षेत्राधिकार के आह्वान को आमंत्रित करेगा। यह कहने के बाद, यह स्पष्ट है कि इस आदेश का

18 जून 2020 को अदालत ने डी. वी. आई. द्वारा दायर आई. ए. को खारिज कर दिया और एक आवश्यक परिणाम के रूप में, जिसके आधार पर आई. ए. में राहत दी गई थी।

की तलाश की। इसलिए सही ढंग से, अब डी. वी. आई. की ओर से यह कहा गया है कि वह 18 जून 2020 को अपने आई. ए. की बर्खास्तगी को देखते हुए बल प्रयोग की याचिका दायर नहीं करेगा। लेकिन ईमानदारी में कमी आचरण को दर्शाती है

डी. वी. आई. का यह था कि हमें अवमानना क्षेत्राधिकार को लागू करने के बारे में चौकस रहना चाहिए क्योंकि एक असमर्थनीय याचिका की स्थापना अपने आप में दंडात्मक परिणामों को आमंत्रित नहीं करनी चाहिए जो इस अभ्यास से उत्पन्न होते हैं।

अवमानना क्षेत्राधिकार। इसी तरह, समाधान योजना की शर्तों को पूरा करने में डी. वी. आई. की चूक कानून में परिकल्पित परिणामों को आमंत्रित कर सकती है। शेष पर, हमारा विचार है कि इस न्यायालय की अवमानना के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित नहीं होगा।

सीओसी ऑफ एमटेक ऑटो लिमिटेड। निगम के माध्यम से। बैंक वी. दिनकर टी. वेंकटसुब्रमणियन [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने अवमानना याचिका के जवाब में दायर हलफनामे पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि डी. वी. आई. इसके दायरे में रहेगा।

यह आग्रह करने का अधिकार कि क्या समाधान योजना के प्रवर्तन के लिए पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा किया गया है। चूंकि डी. वी. आई. एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील में है, इसलिए हम प्रस्तुत करने के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। द. एन. सी. एल. ए. टी. डी. वी. आई. के प्रस्तुत करने की दृढ़ता और गुणों पर विचार करेगा कि समाधान योजना के तहत पूर्ववर्ती शर्तों को पक्षों को सुनने के बाद पूरा नहीं किया गया है। यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अदालत के समक्ष वर्तमान कार्यवाही में या तो डी. वी. आई. द्वारा सुधार के लिए दायर आवेदन या डी. वी. आई. द्वारा दायर अवमानना याचिका पर उत्पन्न होता है।

सीओसी।

39. उपरोक्त कारणों से, हमारे निष्कर्ष और निर्देश हैं -

कि -

(i) डी. वी. आई. द्वारा सुधार के लिए दायर आवेदन में कोई योग्यता नहीं है। 2020 की सिविल अपील संख्या 6707 में 2020 की आई. ए. संख्या 58156 खारिज हो जाएगी; ((ii) न्याय के हित में अवमानना की कार्यवाही को आगे बढ़ाना समीचीन नहीं है। अवमानना याचिका (सी) संख्या 524

2019 की सिविल अपील संख्या 6707 में 2020 का आदेश तदनुसार होगा।

खारिज कर दिया गया है, नीचे (iii) के अधीन;

((ग) डी. वी. आई. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के संदर्भ में और अन्यथा भी, इसके परिणामस्वरूप -

18 जून 2020 को अपने आई. ए. की बर्खास्तगी, यह एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ अपील में एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष लंबित कार्यवाही में बल प्रयोग के लिए एक याचिका स्थापित नहीं करेगा।

समाधान योजना को मंजूरी देना; और

(iv) एन. सी. एल. टी. द्वारा समाधान योजना की मंजूरी के खिलाफ डी. वी. आई. द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की जाएगी और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा एक महीने की अवधि के भीतर इसका निपटारा किया जाएगा।

वर्तमान निर्णय की तारीख से।

40. उपरोक्त शर्तों में एक आदेश होगा।

अंकित ज्ञान

सुधार आवेदन और अवमानना याचिका खारिज कर दी गई।